

श्रेयक,

मुकुल सिंहल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उपग्रो खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड,
लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: २० अगस्त, 2014

विषय:- उपग्रो खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के लिपिकीय संवर्ग के पदनाम एवं वेतन विसंगतियों को दूर करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या वे0310-2-109/दस-54(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुसार उपग्रो खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के लिपिकीय संवर्ग के पदों के पदनाम/अर्हता/भर्ती की विधि तथा वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन राजकीय कर्मियों के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0 वे0310-2-401/दस-54(एम)/2008 टी0सी0 18 मार्च, 2011 तथा शासनादेश संख्या-वे0310-2-2105/दस-54(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर तत्काल प्रभाव से (इस शासनादेश के निर्गत होने के दिनांक) निम्नवत् पुनर्गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र.सं०	सेवाविनियमवली/शासनादेश सं० 1618/59-1-240 (खा)/89 दिनांक 22 दिसम्बर, 2000 के अनुसार विद्यमान पदनाम	उत्ते वेतनमान में पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैंड एवं ग्रेड में की वर्तमान स्थिति	परिवर्तित पदनाम	पे-बैंड/ग्रेड पे	पदों की सं०	भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता/प्रक्रिया
1	2	3	4	5	6	7
1	लिपिक/टंकव/स्टोर कीपर/कनिष्ठ खजौंची	5200-20200 ग्रेड पे 1900	कनिष्ठ सहायक	5200-20200 ग्रेड पे 2000	124	80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा अर्हता-इंटरमीडिएट के साथ-साथ कम्प्यूटर संचालन का डोक (DOEACC) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त "सी0सी0सी0" प्रमाण-पत्र अथवा "सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष

						<p>तथा हिन्दी/अंग्रेजी से कम क्रमशः शब्द प्रति मिनट की गति।</p> <p>15 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी ऐसे कार्गिकों से पदोन्नति द्वारा जो हाईस्कूल हो तथा टंकण ज्ञान रखते हो।</p> <p>05 प्रतिशत चतुर्थश्रेणी के ऐसे कार्गिकों से पदोन्नति द्वारा जो इण्टरमीडिएट हों तथा टंकण ज्ञान रखते हो।</p>
2	वरिष्ठ लिपिक	5200-20200 ग्रेड पे 2400	वरिष्ठ सहायक	5200-20200 ग्रेड पे 2800	112	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा पांच वर्ष की सेवा वाले वरिष्ठ सहायक के पदों से।
3.	वरिष्ठ सहायक/प्रधान लिपिक/रिकार्ड वीपर/सह उत्पादन अधीक्षक लिपिकीय/उत्पादन अधीक्षक लिपिकीय	5200-20200 ग्रेड पे 2800	प्रधान सहायक	9300-34800 ग्रेड पे 4200	41	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा वरिष्ठ सहायक के पदों से।
4.	कार्यालय अधीक्षक प्रथम कार्यालय अधीक्षक द्वितीय	9300-34800 ग्रेड पे 4200	प्रशासनिक अधिकारी	9300-34800 ग्रेड पे 4600	07	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 05 वर्ष की सेवा वाले प्रधान सहायक के पदों से।

2. उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के लिपिकीय संवर्ग के पदनाम एवं वेतन विसंगतियों को करने के सम्बन्ध में विभागीय नियमावली में यथाशीघ्र संशोधन कर लिया जायेगा।

3. उपर्युक्तानुसार उच्चकृत वेतनमानों में संबंधित पदधारकों का वेतन निर्धारण शासन सं० वे०आ०-२-८४१-दस-२००९-५९(एम)/२००८ दिनांक २४ दिसम्बर, २००९ एवं शासनादेश वे०आ०-२-५७७/दस-५९(एम)/२००८टी०सी० दिनांक २९ जून, २०१० की व्यवस्थानुसार किया जाये
4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं० ई-६-४५३ /दस-२०१४ दिनांक ३१ जुलाई, २०१४ में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(Mukul)
6.8.14
(मुकुल सिंहल)
प्रमुख सचिव

संख्या- (1)/59-1-2014-25 (खा)/2010 तदुदिनांक

प्रतिलिपि - : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित- :

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/लेखा परीक्षा प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, ८वां तल, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-६/वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-२, ३०प्र०शासन।
6. उप निदेशक, एन०आई०सी० (प्रशासनिक भवन), ई-फ्लोर, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ।
7. खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-२, ३०प्र०शासन/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(Nirmala)
(निर्मला श्रीवास्तव)
अनुसचिव